न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 36 / 2022	2022 / 59	17.02.2022	06.06.2022

—उनवान—

1. कल्याण सहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम थोंसड़ी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. विशम्भर दयाल पुत्र पूरणमल
2. जगदीश पुत्र पूरणमल
3. दामौदर लाल पुत्र पूरणमल
4. बद्रीप्रसाद पुत्र पूरणमल
5. रामावतार पुत्र पूरणमल निवासीयान् ग्राम थोंसड़ी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थीगण

6. श्रीमति कमलेश बेवा मनोहरलाल
7. छगनलाल पुत्र मनोहरलाल
8. मनीषा पुत्री मनोहरलाल
9. गिर्राज प्रसाद पुत्र जगन्नाथ
10. रामेश्वर प्रसाद पुत्र चिरंजीलाल
11. दुर्गाप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल जातियान् ब्राह्मण निवासी ग्राम थोंसड़ी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

12. तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. स्वंय —प्रार्थी
02. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील असल अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रैणी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान विशम्भरदयाल बनाम जगन्नाथ वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण विशम्भरदयाल बनाम जगन्नाथ वगै0 विचाराधीन है। मुकदमा वास्ते साक्ष्य में नियत था। मिन प्रार्थी के पेट का ऑपरेशन होने के कारण दिनांक 14.02.2022 की पेशी पर प्रार्थी ने प्रा.पत्र पेश किया कि आज वकील साहब उप0 नहीं है व प्रार्थी ने पेट का ऑपरेशन कराया है। इसलिए साक्ष्य हेतु आगामी पेशी फरमायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1000/— रू0 की कॉस्ट पर अंतिम अवसर दिया तथा आगाती पेशी दिनांक 25.02.2022 नियत फरमा दी गयी। माननीय राजस्व मण्डल ने भी आदेश दिये कि जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक मुकदमे का निस्तारण नहीं किया जावे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का रवैया स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण प्रतीत होता है। उक्त वाद के निस्तारण करने के लिए पीठासीन अधिकारी अत्यंत जल्दबाजी कर रहे है। अन्य प्रकरणों की अपेक्षा इस प्रकरण मे नजदीक की पेशीयां दी जा रही है तथा अप्रार्थीगण ऐलानिया तौर पर कह रहे है कि जल्दी ही इस प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में करा लेंगे। पीठासीन अधिकारी का झुकाव भी अप्रार्थीगण के पक्ष में दिखाई देता है। जबकि कानून का यह सिद्धांत है कि न्यायालय को न्याय ही नहीं करना अपितू न्याय दिया जाना प्रदर्शित होना चाहिए। अतः उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील असल अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि दिनांक 14.02.2022 को प्रार्थी द्वारा पेट का ऑपरेशन होने के कारण प्रा.पत्र पेश किया कि आज वकील साहब उप0 नहीं है व प्रार्थी ने पेट का ऑपरेशन कराया है, कतई गलत है। प्रार्थी के वकील उस दिन न्यायालय में उप0 थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर 1000/— रू0 कॉस्ट पर मौका

जिला कलक्टर, अलवर

दिया गया था। जबकि अप्रार्थीगण के वकील ने साक्ष्य बन्द करने हेतु निवेदन किया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 30.06.2003 से नियत है। दिनांक 24.07.2003 को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इसके उपरांत पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन में चली गयी। दिनांक 23.06.2011 को पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस प्राप्त हो गयी। दिनांक 18.06.2012 व 23.07.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इसके बाद पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में चली गयी। वहां से पत्रावली दिनांक 28.01.2013 को वापस अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त हुई। दिनांक 26.02.2015 को प्रार्थी की उक्त प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए है जो आदेश दिनांक 15.04.2015 को यथावत रखे गये है। इसके पश्चात् पत्रावली उपखण्ड अधिकारी रैणी को सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2019 को स्थानांतरित कर दी गयी। दिनांक 13.08.2019, 12.09.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गयी। दिनांक 01.01.2021, 10.03.2021, 26.03.2021 को भी पत्रावाली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गयी। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी येनकेन प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु मान0 उच्च न्यायालय जयपुर में दिनांक 13.09.2002 को निर्देश दिये हुए है। जिसकी पालना प्रार्थी विफल कर रहे है। प्रकरण 40 साल पुराना है। मान0 राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्देश दिये थे कि सिविल वाद के निर्णय के बाद अंतिम डिक्री पारित किया जाये। सिविल वाद का निर्णय दिनांक 26.08.2002 को हो गया है। जिसके विरूद्ध अपील का भी निर्णय दिनांक 23.10.2007 को अपील खारिज कर किया जा चुका है। पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थीगण की तरफ को झुकाव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में विचाराधीन है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जा रहे है और किसी ना किसी बहाने तारीख पेशीयां लेकर प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। प्रतिवादी/प्रार्थी पूर्व में साक्ष्य हेतु कई मौके दिये जा चुके है। दिनांक 14.02.2022 को भी साक्ष्य प्रतिवादी/प्रार्थी उप0 नहीं थे। भारी विरोध करने पर साक्ष्य हेतु अंतिम मौका दिया गया। आदेशिका लिखने तक प्रार्थी ने न्यायालय में यह जाहिर नहीं किया कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है। वह केवल साक्ष्य हेतु मौका मांगता रहा। प्रार्थी का वकील भी न्यायालय में उप0 था। न्यायालय का कार्य पूर्ण होने के बाद जब मैं चैम्बर में बैठा था तो प्रार्थी प्रा.पत्र लेकर आया और मेरी टेबल पर पटककर चला गया। मेरे द्वारा कोई पक्षपात नहीं किये जाते है और मैं ना ही निस्तारण में जल्दबाजी कर रहा हूं। प्रकरण काफी पुराना है। मान0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र निस्तारण हेतु नजदीकी तारीख पेशीया दी जा रही है। मेरा झुकाव किसी भी पक्षकार की ओर नहीं है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद व मनगढंत है। फिर भी उक्त वाद को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राथी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई स्थगन पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी रैणी प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर अलवर